UPVR010102182022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

आपराधिक वाद संख्या–1379 सन् 2022

राज्य बनाम अरविन्द सेठ

अपराध संख्या–135 सन् 2016
धारा–138बी विद्युत अधिनियम
थाना–चौक, जनपद वाराणसी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 द0प्र0सं0 सपठित धारा 152 विद्युत अधिनियम

11–01–2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त अरविन्द सेठ पुत्र स्व0 भोलानाथ सेठ की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त उपरोक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.08.2022 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा समस्त विद्युत बिल का भुगतान कर दिया गया है जिसके बाबत विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त के अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9150/न0वि0वि0ख0(द्वि0) वा0/ दिनांकित 08.07.2022 के अनुसार, अभियुक्त अरविन्द कुमार सेठ द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या 2667221000 के सापेक्ष विद्युत बीजक का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। उक्त पत्र की मूलप्रति पत्रावली में संलग्न है। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस आशय का पृष्ठांकन प्रार्थनापत्र के पृष्ठ भाग पर किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा विभाग का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा पत्रांक 9150 दिनांकित 08.07.2022 की छायप्रति संलग्न की गयी है।

धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत यदि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया जाता है तब अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरूद्ध किसी दांडिक न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी तथा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा।

प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 138बी भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 01.09.2017 को प्रसंज्ञान लिया गया है। चूंकि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा निर्धारित बकाए का संपूर्ण भुगतान विद्युत विभाग में किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अभियुक्त अरविन्द सेठ पुत्र स्व0 भोलानाथ सेठ को उपरोक्त अपराध से उन्मोचित किया जाता है एवं अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 152 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मामले से संबंधित समस्त कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम),
वाराणसी।
जे.ओ.कोड नं.– यू0पी02397

rohit shukla-steno